इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जनवरी 2017—पौष 30, शक 1938

# भाग ४

विषय-सूची


| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |


## भाग ४ (क)—कुछ नहीं

## भाग ४ (ख)

## अध्यादेश

## विधि और विधायी कार्य विभाग

Bhopal, the 13th January 2017

NO. 11-21-A(Dr.) The following Ordinance promulgated by the President of India published in the Gazette of India Extra-Ordinary, Part II, Section I, dated the 30th December, 2016 is hereby republished for general information.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJESH YADAV, Addl. Secy.

### THE SPECIFIED BANK NOTES (CESSATION OF LIABILITIES) ORDINANCE, 2016
### No. 10 of 2016

Promulgated by the president in the sixty seventh year of the of the Republic of India.

An Ordinance to provide for cessation of liabilities on the specified bank notes and for matters connected therewith or incidental thereto.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2017

क्रमांक - एफ 11-32/2016/तीस : राज्य शासन एतद् द्वारा सृजनात्मक कलाओं और साहित्य में उत्कृष्टता, श्रेष्ठ उपलब्धि तथा दीर्घ साधना को सम्मानित करने और इनमें राष्ट्रीय कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से अनेक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मानों की स्थापना की है। पूर्व नियमों को अधिक्रमित कर, विभाग निम्नलिखित नियम बनाता है :-

1. **योजना :-** यह नियम **"राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मान नियम"** कहलायेंगे और प्रसारित होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।
2. **उद्देश्य :-** इस योजना का उद्देश्य कला, साहित्य, संस्कृति एवं सिनेमा और सामाजिक कार्य आदि विधाओं का सृजनात्मक संवर्द्धन एवं विकास किया जाना है। इन सम्मानों का मुख्य उद्देश्य गायन, वादन, नृत्य, हिन्दुस्तानी संगीत, शास्त्रीय संगीत, रंगकर्म, रूपंकर कलाएँ, कविता, साहित्य, उर्दू साहित्य, आदिवासी, लोक व पारम्परिक कलाएँ, हिन्दी व्यंग्य, सुगम संगीत, फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों एवं संस्थाओं को सम्मानित करना है।
3. **पात्रता तथा मापदण्ड :-**

(एक) चयन के समय कलाकार/साहित्यकार/संस्था का सृजन सक्रिय होना अनिवार्य है।

(दो) सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सम्मान कलाकार/साहित्यकार/संस्था के समग्र रचनात्मक अवदान के लिए देय होगा, उसकी किसी एक कृति या प्रस्तुति के लिए नहीं।

(तीन) सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सम्मान सिर्फ सृजनात्मक उपलब्धि के लिए देय रहेगा। शोध, पाण्डित्य अथवा अकादेमिक कार्यों के लिए नहीं।

4. **सामान्य नियम :-**

(एक) मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा देय सभी राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मान के लिए उच्च कोटि की सृजनात्मकता, असाधारण उपलब्धि और अनवरत दीर्घ साधना के असंदिग्ध और निरपवाद मानदण्ड रखे गए हैं।

(दो) राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कलाकार/साहित्यकार/संस्था को दोबारा संस्कृति विभाग का कोई समकक्ष राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया जायेगा। **तथापि राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान से सम्मानित/विभूषित युवा कलाकारों को वरिष्ठता के स्तर पर आने वाले समय में विधा सम्बद्ध** राष्ट्रीय सम्मानों के लिए यह बंधन नहीं होगा।

(तीन)राज्य सम्मान प्राप्त कलाकार/साहित्यकार/संस्था को दोबारा संस्कृति विभाग का कोई राज्य सम्मान नहीं दिया जायेगा, किन्तु उसे राष्ट्रीय सम्मान प्रस्तावित किया जा सकता है।

(चार) सम्मान घोषित हो जाने के बाद यदि कलाकार/साहित्यकार/संस्था उसे लेना अस्वीकार कर देते हैं तो उस वर्ष वह सम्मान किसी को नहीं दिया जायेगा।

(पांच) राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कोई भी सम्मान संयुक्त रूप से नहीं दिया जायेगा।

**5. चयन समिति का गठन :-**

(एक) राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मानों के लिए अलग-अलग चयन समिति का गठन शासन द्वारा किया जायेगा।

(दो) चयन समिति हेतु मनोनीत सदस्य संबंधित कला एवं साहित्य के (सम्मानों के अनुरूप) राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय श्रेष्ठ कलाकार, साहित्यकार अथवा विशेषज्ञ होंगे।

**6. चयन समिति का निर्णय :-**

(एक) चयन समिति का निर्णय सर्वसम्मति से होगा।

(दो) चयन समिति की सर्वसम्मत अनुशंसा राज्य शासन के लिए बंधनकारी होगी।

(तीन) राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

(चार) विषम परिस्थितियों में यदि चयन-समिति सर्वसम्मत निर्णय लेने में असमर्थ रहती है और एक से अधिक कलाकार/साहित्यकार/संस्था के नाम की अनुशंसा करती है, ऐसी स्थिति में शासन को उक्त चयन समिति का निर्णय अमान्य करने का अधिकार होगा और चयन प्रक्रिया पुन: आरम्भ की जा सकेगी।

(पांच) यदि चयन समिति सम्मान के लिए किसी कलाकार/साहित्यकार/संस्था को उपयुक्त नहीं पाती है तो उस वर्ष वह सम्मान किसी को नहीं दिया जायेगा।

(छ:) सम्मान चयन की कार्यवाही/अनुशंसा एवं उसके उपरांत अलंकरण अवधि के मध्य यदि चयनित कलाकार/साहित्यकार का देहांत हो जाता है, ऐसी स्थिति में यह सम्मान उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य को प्रदान किया जा सकेगा।

**7. चयन समिति हेतु सदस्य संख्या :-**

(एक) राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान की चयन समिति में 4 सदस्य तथा शेष राष्ट्रीय सम्मानों
की चयन समिति में 3 सदस्यों की उपस्थिति होने पर बैठक आयोजित की जा सकेगी।

(दो) इसी प्रकार राज्य सम्मानों की चयन समिति में भी 3 सदस्यों की उपस्थिति होने पर बैठक आयोजित की जा सकेगी।

महात्मा गांधी सम्मान चयन समिति में 7 सदस्यों को आमंत्रित किया जा सकेगा, जिसमें 4 सदस्यों की उपस्थिति तथा शेष राष्ट्रीय सम्मान एवं राज्य सम्मान में 5 सदस्यों को आमंत्रित किया जा सकेगा, जिसमें 3 सदस्यों की उपस्थिति में बैठक आयोजित की जा सकेगी।

**8. चयन समिति की अनुशंसा :-**

(एक) चयन समिति की अनुशंसा के पश्चात् अनुशंसित कलाकार/साहित्यकार/संस्था से सम्मान ग्रहण करने की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(दो) शासन की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही सम्मान घोषित किया जायेगा।

(तीन) घोषणा के पूर्व कार्यवाही पूर्णत: गोपनीय रहेगी।

**9. सम्मान हेतु प्रस्ताव आमंत्रण एवं आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :-**

(एक) विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मानों के अनुरूप लेखकों, कलाकारों, विशेषज्ञों, रसिकों, संस्थाओं आदि से नामांकन आमंत्रित किए जायेंगे। यह भी अपेक्षा होगी कि नामांकनकर्ता, कलाकार/साहित्यकार/संस्था के प्रकाशनों का ब्यौरा, चित्र कैटलॉग आदि भी नामांकन के साथ संलग्न करेंगे। **विभाग नामांकन के साथ संलग्न सहायक सामग्री लौटाने के लिए वचनबद्ध नहीं है।**

(दो) प्राप्त नामांकनों को चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा।

(तीन) चयन समिति प्राप्त नामांकनों की समीक्षा करेंगी। चयन समिति को यह स्वतंत्रता होगी कि यदि कोई नाम छूट गया हो जो उक्त सम्मान के लिए योग्य है तो वे स्वविवेक से उस नाम को विचारार्थ शामिल कर सकेंगे।

(चार) विभाग द्वारा नामांकन आमंत्रित किए जाने से वैधानिक घोषणा होने तक इस सम्बन्ध में मौखिक/दूरभाष/पत्राचार द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा सकेगी।

10. इन नियमों के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उपस्थित होने पर राज्य शासन उसके निराकरण हेतु उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**पदमरेखा ढोले,** अवर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.